

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 306 / 2009 सत्रवाद

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र

एण्डोरी जिला भिण्ड म0प्र0 ।

-----अभियोजन

बनाम

1. कल्ली उर्फ करुआ उर्फ दशरथ सिंह पुत्र  
रामअख्त्यार सिंह गुर्जर उम्र 28 वर्ष। निवासी  
ग्राम लक्ष्मणगढ थाना महाराजपुरा जिला  
ग्वालियर म0प्र0 । .....**फरार**
2. राजकुमार उर्फ रामकुमार उर्फ राजेश पुत्र  
राधेश्याम गुर्जर उम्र 25 वर्ष। निवासी ग्राम भूरे  
का पुरा थाना एण्डोरी जिला भिण्ड, हाल- पिंटू  
पार्क आदर्श नगर ग्वालियर म0प्र0 ।

.....अभियुक्तगण

---

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री मनीष शर्मा  
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क्र0. 501 / 2009 इ0फौ0  
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 306 / 2009

---

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।

---

अभियुक्त द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

---

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 24-2-2015 को घोषित किया गया//

01. वर्तमान में आरोपी रामकुमार का विचारण धारा 307 भा0द0सं0 एवं धारा 25(1-बी)(ए) एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत किया जा रहा है । उस पर आरोप है कि दिनांक 28-1-09 को साम 4:30 बजे ग्राम भूरे का पुरा थाना एण्डोरी में फरियादी जोगेन्द्रसिंह को आग्नेयशस्त्र माउजर कट्टा से प्राणघातक उपहति इस आशय या ज्ञान से या ऐसी परिस्थितियों में कारित की कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते उसे

उपहति कारित की । उस पर यह भी आरोप है कि वह अपने आधिपत्य में एक चालू स्थिति वाला आग्नेयशस्त्र माउजर कट्टा बिना बैध अनुज्ञप्ति के रखे हुये था । उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त अवैध हथियार का उपयोग प्राणघातक उपहति कारित करने के आशय से अपने पास रखा गया ।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक दिनांक 27-1-09 को आहत जोगेन्द्र सिंह एवं उसका भाई निरोत्तम सिंह खाना खाकर सो गये थे। जोगेन्द्र सिंह घर के बाहर गेलरी के बगल में बने कमरे में सोया था और निरोत्तम घर के अंदर के कमरे में सोया था । सुबह साडे चार बजे फरियादी निरोत्तम सिंह गोली चलने की आवाज सुनकर जगा तो उसे उसके भाई जोगेन्द्र के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी । उसने गेलरी के किवाड खोले तबतक हरेन्द्र सिंह भी आ गया । खिडकी से जोगेन्द्र सिंह से किवाड खोलने के लिये बोला तो जोगेन्द्र ने बताया कि आरोपी रामकुमार सिंह निवासी भूरे का पुरा और उसके साथ उसका रिश्तेदार कल्ली गुर्जर निवासी लक्ष्मणगण का एवं अन्य दो तीन लोग और थे जो कि गोली मारकर भाग गये हैं । फिर निरोत्तम और गवाह हरेन्द्र ने किवाड तोड़ कर खोला और देखा कि जोगेन्द्र की छाती पर गोली लगी थी जो कि गोली बाहर निकल आयी थी । आहत जोगेन्द्र सिंह के शरीर से काफी खून वह रहा था उसकी हालत खराब होने से उसे मोटरसायकिल से गोहद अस्पताल गांव के सुरेश सिंह वगैराह लाये। अस्पताल गोहद के चिकित्सक के द्वारा घटना की सूचना थाना गोहद को दी गयी जो कि उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस थाना गोहद के द्वारा प्रारंभिक कार्यवाही करते हुए इस संबंध में कार्यवाही के दस्तावेज पुलिस थाना एण्डोरी को भेजा गया जिसके आधार पर थाना एण्डोरी में प्रथम सूचना क्रमांक 7/09 धारा 307/34 भा0द0सं0 का पंजीबद्ध किया गया। आहत को गोहद से ईलाज हेतु ग्वालियर रेफर किया गया था जहाँ उसका इलाज हुआ था। प्रकरण की विवेचना आगे की गयी । आरोपी राजकुमार उर्फ रामकुमार को गिरफ्तार किया गया उसके आधिपत्य से एक कट्टा माउजर 315 बोर का और एक जिंदा राउण्ड जप्त किया गया । आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन चलाने की अनुमति चाही गयी जो कि अनुमति प्राप्त होने के उपरांत सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ ।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 307/34 भा0द0सं0 एवं धारा 25(1-बी)(ए) एवं 27 आर्म्स एक्ट का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया । आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई ।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

05. आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 28-1-09 को सुबज 4:30 बजे ग्राम भूरे का पुरा थाना एण्डोरी में आरोपी के द्वारा फरियादी/आहत जोगेन्द्र सिंह को आग्नेयशस्त्र माउजर कट्टे से इस आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में हमला किया कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप हत्या के दोषी हो जाते ?
2. क्या आरोपी के द्वारा उक्त आग्नेयशस्त्र माउजर कट्टे से आहत को उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी अपने आधिपत्य में एक चालू स्थिति वाला आग्नेयशस्त्र माउजर कट्टा बिना बैध अनुज्ञप्ति के अपने पास रखे हुये था ?
4. क्या आरोपी के द्वारा उक्त आग्नेयशस्त्र को फरियादी को प्राणघातक उपहति कारित करने के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाया गया ?

### -: सकारण निष्कर्ष:-

#### बिन्दु क्रमांक 1 से 4:-

06. परस्पर जुड़े होने एवं साक्ष्य विवेचना की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा06 के अनुसार वह दिनांक 28-1-09 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में चिकित्सक के पद पर पदस्था था। उक्त दिनांक को आहत जोगेन्द्र सिंह निवासी भूरे के पुरा को गोली लगने से घायल होने पर लाया गया था। जिसकी जानकारी थाना गोहद को उनके द्वारा भेजी गयी थी उक्त सूचना प्र0पी06 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के द्वारा आगे यह बताया गया है कि आहत जोगेन्द्र सिंह के परीक्षण में सीने के बीच के भाग में निपल के लेबल का फटा हुआ घाव जिसका आकार 0.8 गुणा .7 से0मी0 का था घाव से खून वह रहा था । घाव के आसपास की चमड़ी झुलसी हुयी थी और कालापन मौजूद था । घाव के किनारे अन्दर की ओर मुड़े हुये थे । आहत के शरीर पर नारंगी रंग की बनियान जिस पर खून लगा था को सील कर संबंधित आरक्षक को सौंपी गयी थी । साक्षी ने अपने अभिमत में बताया है कि आहत को उक्त चोट आग्नेयशस्त्र से

आना संभव है जो परीक्षण के 6 घंटे के अंदर की थी । आहत को गोली 2 से 3 फीट की दूरी से चलायी गयी थी, आहत को जे0एच0अस्पताल ग्वालियर रेफर किया गया था उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्र0पी0 7 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

08. इस प्रकार डॉक्टर आलोक शर्मा अ0सा06 के कथन से स्पष्ट है कि घटना के पश्चात् आहत जोगेन्द्र सिंह के शरीर पर बतायी गयी चोटें मौजूद थी। अब विचारणीय यह हो जाता है कि:- क्या आरोपी के द्वारा फरियादी/आहत जोगेन्द्र की हत्या कारित करने के आशय से अथवा इस आशय या ज्ञान से ऐसी परिस्थितियों में कि यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो आप आरोपी हत्या के दोषी हो जाते इस प्रकार गोली चलाकर आपके द्वारा आपराधिक कृत्य किया ?

09. वर्तमान अभियोजन प्रकरण के संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि आहत/फरियादी या उसके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा थाने में कोई सीधी रिपोर्ट घटना के संबंध में नहीं की गयी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद के चिकित्सक के द्वारा तहरीर भेजी गयी थी जो कि इस संबंध में थाना गोहद में तहरीर मिलने पर थाना गोहद से जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 252/09 दिनांक 30-1-09 जिसके साथ एम0एल0सी0 रिपोर्ट भी थी थाना एण्डोरी दिनांक 1-2-09 को पेश किये जाने के आधार पर थाना एण्डोरी में आरोपी राजकुमार गुर्जर सहित तथा अन्य सह आरोपी कल्ली गुर्जर के विरुद्ध एवं तीन अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अप0कं0 7/09 धारा 307/34 की एफ0आई0आर0 प्र0पी0 14 लेखबद्ध कर तत्कालीन थाना प्रभारी देवलाल धनेले अ0सा010 के द्वारा बतायी गयी है।

10. इस बिन्दु पर अपराध दर्ज करने वाला थाना एण्डोरी के तत्कालीन थाना प्रभारी देवलाल धनेले के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि थाना गोहद से आरक्षक के द्वारा लाये जाने पर घायल जोगेन्द्रसिंह गुजर के संबंध में जाँच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 252/09 दिनांक 30.01.2009 में सहपत्र और एम.एल.सी. रिपोर्ट थाना एण्डोरी में लाकर पेश किया गया था जिसके आधार पर वहाँ वर्तमान आरोपी राजकुमार व अन्य के विरुद्ध प्र.पी. 14 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी।

11. इस प्रकार थाना गोहद की जिस तहरीर और जाँच के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जानी बताई जा रही है। इस संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि उक्त जाँच किस पुलिस अधिकारी के द्वारा की गई थी, जिसमें कि वर्तमान आरोपी के अपराध में संलग्न होने का तथ्य पता चला है, ऐसी कोई भी जाँच रिपोर्ट न तो प्रकरण में संलग्न है और न ही घटना के पश्चात् की गई कथित जाँच सिजमें कि आरोपी के घटना में संलग्न होने का उल्लेख आया है ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश किया गया हो और न ही उसे प्रमाणित कराया

गया है। यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त घटना पुलिस थाना एण्डोरी के अंतर्गत की है और इस संबंध में पुलिस थाना गोहद के द्वारा जाँच की जानी बताई जा रही है। ऐसी दशा में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 14 जिन आधारों पर दर्ज की जानी बताई जा रही है वह आधार ही अभियोजन के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 14 जिसके आधार पर सम्पूर्ण कार्यवाही की जानी बताई जा रही है उसका आधार ही प्रमाणित नहीं है।

12. यह उल्लेखनीय है कि घटना के आहत जोगेन्द्रसिंह की घटना के दौरान मृत्यु हो जाने से उसका साक्ष्य कथन नहीं हुआ है। ऐसी दशा में जबकि आहत का कोई कथन नहीं हुआ है, इस संबंध में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण को देखना होगा।

13. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षी नरोत्तम अ0सा0 1 जो कि जोगेन्द्रसिंह का भाई है और घटना के समय घटना स्थल पर के पास स्थिति कमरे में मौजूद होना और गोली आवाज सुनकर घटना स्थल पर आना बताया जा रहा है, किन्तु उक्त साक्षी नरोत्तम जो कि आहत जोगेन्द्र सिंह का सगा भाई है के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है और उसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे घर वालों ने खबर दी थी कि जोगेन्द्र को गोली लग गई है और 3-4 दिन बाद वह आया था। नक्शा मौका प्र.पी. 1 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी नरोत्तम को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन करने वाला अथवा घटना में वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी राजकुमार के लिप्त होने के संबंध में कोई भी तथ्य नहीं आया है।

14. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य घटना के उपरान्त तुरंत पश्चात् घटना स्थल पर पहुँचना बताये गए अन्य साक्षी हरेन्द्रसिंह अ0सा0 2 और गजेन्द्रसिंह अ0सा0 4 के द्वारा केवल यह बताया गया है कि जोगेन्द्र को गोली लगी थी। उनके साक्ष्य कथन में कहीं भी वर्तमान आरोपी राजकुमार के द्वारा जोगेन्द्र को गोली मारने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है। उक्त साक्षीगण को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में अभियोजन प्रकरण को समर्थन या पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। इस बिन्दु पर अन्य अभियोजन साक्षी बालिस्टर सिंह अ0सा0 5 के द्वारा भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है, उक्त साक्षी को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इस प्रकार

उक्त साक्षी के कथन में भी अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है। इस प्रकार घटना के संबंध में अभियोजन के द्वारा बताए गए उपरोक्त प्रमुख साक्षियों के कथनों में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है।

15. अभियोजन के द्वारा प्रकरण के संबंध में साक्षी सुरेश सिंह अ0सा0 3 के कथन कराए गए हैं जो कि आहत जोगेन्दर का चचेरा भाई है, उक्त साक्षी ने अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि बंदूक की गोली की आवाज सुनकर और हल्ला गुल्ला सुनकर वह जोगेन्दर के घर पहुँचा था। जोगेन्दर को गोली छाती में लगी होना देखा था जिससे खून निकल रहा था, उसने अपनी छाती का घाँव साफ़ी से बांधा था। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि जोगेन्दर से पूछने पर जोगेन्दर ने बताया कि आरोपी राजकुमार गोली मारकर खिडकी में से भाग गया है, उसके बाद जोगेन्दर रिपोर्ट करने थाने गया फिर इलाज कराने अस्पताल गया था।

16. उक्त साक्षी सुरेश सिंह के द्वारा यद्यपि अपने मुख्य परीक्षण में आहत जोगेन्दर के द्वारा आरोपी राजकुमार के द्वारा गोली मारने की बात को उसे बताने के बारे में अभिकथन किया है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत इस संबंध में उसके कथन का जहाँ तक प्रश्न है साक्षी ने बताया कि जब वह पहुँचा था तब वहाँ पर 10-20 आदमी मौजूद थे। जोगेन्दर उन सबके सामने कह रहा था तो उसने सुना था, उसे अलग से जोगेन्दर ने आरोपी राजकुमार के बारे में नहीं बताया था। इस बात को भी स्वीकार किया है कि घटना कारित करने वाले के संबंध में जोगेन्दर से कोई सीधे बात उससे नहीं हुई थी और न ही उसे आरोपी राजकुमार के बारे में सीधे जोगेन्दर ने बताया था। वह गोली की आवाज सुनने के करीब 20 मिनट बाद पहुँचा था। उक्त साक्षी जो कि घटना स्थल पर घटना के उपरांत पहुँचा था के उपरोक्त साक्ष्य कथन का जहाँ तक प्रश्न है उसके प्रतिपरीक्षण में आए हुए कथनों के परिप्रेक्ष्य में जबकि वह स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि आहत जोगेन्दर से उसकी सीधी कोई बातचीत नहीं हुई थी और न ही जोगेन्दर ने उसे आरोपी राजकुमार के बारे में सीधे बताया था उक्त साक्षी की स्थिति मात्र अनश्रुत साक्षी की है और उसके उक्त कथन मात्र के आधार पर उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत आए हुए तथ्य को देखते हुए जबतक कि वह किसी अन्य सम्पुष्टि कारक साक्ष्य से पुष्ट न हो मान्य नहीं किया जा सकता।

17. प्रकरण में जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि घटना में बताए गए आहत जोगेन्दरसिंह की घटना के विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है, इस कारण उसके कथन नहीं हुए हैं। अभियोजन के द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि आहत साक्षी जोगेन्दरसिंह जिसकी कि विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है उसके द्वारा पुलिस

को दिए गए धारा 161 के कथनों में स्पष्ट रूप से वर्तमान विचारित किए जा रहे आरोपी राजकुमार के द्वारा उसे गोली मारे जाने के संबंध में उसके कथन में आया है। ऐसी दशा में जबकि उक्त साक्षी की वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है उसके पूर्ववर्ती उक्त कथन के आधार पर आरोपी राजकुमार के घटना में संलग्न होने का तथ्य प्रमाणित होता है।

18. उपरोक्त संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि प्रकरण के विचारण के दौरान जोगेन्द्रसिंह की मृत्यु होने से उसके साक्ष्य कथन नहीं हो सका है, किन्तु वर्तमान प्रकरण में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि घटना की कोई भी प्रथम सूचना रिपोर्ट आहत जोगेन्द्र अथवा उसके परिवारजनों के थाना थाने पर दर्ज नहीं कराई गई है जिसमें कि वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी के नाम का उल्लेख आया है। आहत जोगेन्द्रसिंह के पुलिस के द्वारा लिया गया 161 के कथन का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में तत्कालीन थाना प्रभारी एवं विवेचक देवलाल धनेले के द्वारा दिनांक 04.02.2009 को जोगेन्द्र का कथन लेखबद्ध करना बताया है जो कि घटना के एक सप्ताह पश्चात् गोहद में धारा 161 का उक्त कथन लेखबद्ध किया गया है। उक्त कथन के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि आहत जोगेन्द्र के द्वारा पूर्व में गोहद में कोई कथन दिया जाना बताया गया है और उस कथन के उपरांत वर्तमान कथन लेखबद्ध किया गया है, किन्तु पूर्व का कोई कथन जिसमें कि सर्वप्रथम आरोपी के नाम का उल्लेख हो कहीं भी पेश या प्रमाणित नहीं है। विवेचना अधिकारी के द्वारा आहत जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्रसिंह के द्वारा बताए गए किसी विशिष्ट भाग के कथन को प्रमाणित भी नहीं किया गया है। ऐसी दशा में आहत जोगेन्द्र उर्फ योगेन्द्रसिंह के 161 के कथन के आधार पर आरोपी की घटना में संलग्नता अथवा उसके द्वारा ही अपराध किए जाने का तथ्य कदापि प्रमाणित नहीं माना जा सकता। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि आहत जोगेन्द्रसिंह का मृत्युकालीन कथन लिया जाना बताया जा रहा है, ऐसा कोई भी कथन न तो प्रकरण में पेश है एवं न ही प्रमाणित है कि वास्तव में कोई कथन लिया गया था अथवा नहीं। निश्चित तौर से यदि उसका कोई मृत्युकालीन कथन पेश या प्रमाणित होता तो वह इस संबंध में तथ्य प्रमाणित करने हेतु एक सम्पुष्टिकारक साक्ष्य हो सकता था।

19. इस प्रकार जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट जिन आधारों पर दर्ज कराई गई है वह आधार प्रमाणित नहीं है। घटना के आहत का कोई भी कथन प्रकरण में नहीं हुआ है और न ही उसका कोई पूर्व के कथन के आधार पर आरोपी के घटना में संलग्न होने का कोई तथ्य प्रमाणित है। घटना के संबंध में अन्य अभियोज साक्षियों के कथन के आधार पर भी आरोपी राजकुमार के घटना में संलग्न होने अथवा उसके द्वारा ही घटना कारित किए जाने का भी कोई समुचित साक्ष्य नहीं है जिससे कि उसकी घटना स्थल पर मौजूदगी और

उसके द्वारा ही घटना कारित किया जाने का तथ्य प्रमाणित माना जा सके।

20. अभियोजन के द्वारा आरोपी राजकुमार के आधिपत्य से उसके मेमोरेडम कथन के आधार पर एक 315 बोर माउजर कट्टा व एक जिंदा राउण्ड और एक खाली खोखा माउजर का जप्त करना बताया जा रहा है। इस संबंध में जप्ती कर्ता अधिकारी विहारीलाल तत्कालीन प्र.आर. थाना एण्डोरी के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि दिनांक 13.05.2009 को आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 12 का बनाया था और दिनांक 14.05.2009 को आरोपी से पूछताछ की थी तो आरोपी के द्वारा एक 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा राउण्ड अपने घर के अंदर छिपाकर रखा होना और चलकर बरामद कर देता हूँ बताया था जो कि मेमोरेडम कथन प्र.पी. 9 है। उक्त मेमोरेडम कथन के आधार पर आरोपी के पेश करने पर एक कट्टा माउजर 315 बोर का, एक जिंदा राउण्ड और एक खाली खोखा माउजर का जप्त कर जप्तीपत्रक प्र.पी. 10 बनाया था।

21. उपरोक्त जप्ती की कार्यवाही जो कि प्र.आर. बिहारीलाल के द्वारा आरोपी राजकुमार से की जानी बताई जा रही है, का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में प्रतिपरीक्षण में उक्त जप्तीकर्ता अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि प्र.पी. 10 की जप्ती उन्होंने थाने पर की थी। जबकि अभियोजन प्रकरण के अनुसार आरोपी के मेमोरेडम कथन के आधार पर उसके घर से उसके पेश करने पर जप्ती पत्रक प्र.पी. 10 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी। जप्ती की कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई सील और नमूना की छाप भी नहीं लगी है। ऐसी दशा में मात्र जप्तीकर्ता अधिकारी बिहारीलाल के कथन के आधार पर उक्त जप्ती की कार्यवाही की जानी संदेह से परे प्रमाणित मानी जानी कदापि सुरक्षित नहीं है। यह आवश्यक है कि उक्त कार्यवाही की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी के आधार पर हो।

22. अभियोजन के द्वारा आरोपी राजकुमार के मेमोरेडम कथन के आधार जप्ती के संबंध में साक्षी नाथूसिंह अ0सा0 8 के कथन कराए गए हैं, किन्तु साक्षी नाथूसिंह के द्वारा उसके सामने आरोपी से किसी प्रकार की कोई पूछताछ की जानी अथवा उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही होने से इंकार किया है। यद्यपि साक्षी के द्वारा प्र.पी. 9 व 10 के पत्रकों पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में अभियोजन प्रकरण को पुष्ट करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि प्र.पी. 9 और 10 पर थाने में बुलाकर उसके हस्ताक्षर करा लिए थे, क्योंकि वह थाने के सामने रहता है। इस संबंध में मेमोरेडम और जप्ती के अन्य साक्षियों का कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराया गया है।



23. उक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपी राजकुमार से घटना में प्रयुक्त बताए जा रहे कथित माउजर 315 बोर के कट्टा व कारतूस आदि की जप्ती का तथ्य अभियोजन के द्वारा स्वतंत्र साक्षियों के कथनों के आधार पर प्रमाणित नहीं कराया है, उक्त अग्नेय शस्त्र को न्यायालय के समक्ष पेश कर उसकी कोई पहिचान भी नहीं कराई गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के करीब चार माह पहले उक्त कार्यवाही की जानी बताई जा रही है। घटना के चार माह तक आरोपी इस प्रकार का अग्नेय शस्त्र अपने घर पर ही छिपाकर रखे है यह भी स्वभाविक नहीं लगता है। इस संबंध में जप्तीकर्ता अधिकारी मात्र के कथन के आधार पर उक्त जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित मानी जानी भी कदापि सुरक्षित नहीं है।

24. जहाँ तक जप्तशुदा वस्तुओं के जॉच का प्रश्न है। इस संबंध में राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की जॉच प्र.सी. 1 में परीक्षण हेतु भेजे गए 315 बोर की पिस्तोल चालू हालत में होना तथा इसके पूर्व में चलाए जाने का अवशेष पाए जाना उल्लेखित किया गया है तथा परीक्षण हेतु भेजा गया कारतूस जीवित होना और उसे उक्त पिस्तोल से चला जा सकना तथा खोखा के परीक्षण में भी जप्तशुदा पिस्तोल से चलाया जा सकना बताया गया है। परीक्षण हेतु भेजे गए आहत के शरीर से निकाली गई गोली की बुलेट के परीक्षण के संबंध में की वह उक्त अग्नेय शस्त्र से चलाया गया है अथवा नहीं इस संबंध में कोई निर्णायक अभिमत नहीं दिया गया है।

25. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आरोपी राजकुमार के आधिपत्य से अग्नेयशस्त्र की जप्ती का तथ्य युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में मात्र उक्त परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जिसमें कि जप्तशुदा अग्नेय शस्त्र को चालू एवं जीवित हालत में होना बताया जा रहा है इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध इस संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी मानी नहीं जा सकती। इस संबंध में आरोपी राजकुमार के विरुद्ध आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन चलाए जाने की स्वीकृति का जहाँ तक प्रश्न है इस बिन्दु पर योगेन्द्रसिंह अ0सा0 7 लिपिक आर्म्स शाखा जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कथन के आधार पर कि तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के द्वारा प्र.पी. 8 के अनुसार अभियोजन चलाने की स्वीकृति दी गई है, इस आधार पर भी आरोपी के विरुद्ध इस संबंध में कि वह अपने आधिपत्य में अवैध अग्नेय शस्त्र रखे हुए था और उसके द्वारा अग्नेय शस्त्र का अपराध में उपयोग किया गया का तथ्य प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

26. उपरोक्त विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी राजकुमार उर्फ रामकुमार के विरुद्ध लगाए गए आरोप के संबंध में अभियोजन का प्रकरण कदापि युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। ऐसी दशा में आरोपी राजकुमार

उर्फ रामकुमार को धारा 307 भा०दं०वि० एवं धारा 25(1-बी)ए एवं धारा 27 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी राजकुमार उर्फ रामकुमार के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

27. प्रकरण में सहआरोपी कल्ली गुर्जर फरार है। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का निराकरण उक्त फरार आरोपी के विचारण के उपरान्त किया जावेगा।

28. प्रकरण में सहआरोपी का विचारण शेष है इस परिप्रेक्ष्य में अभिलेखागार में सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड